



Neutral Citation No. - 2026:एचसी:57719

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5295/2026

जैसराम साहनी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : कमल किशोर मिश्रा, कविता निषाद, संजीव कुमार

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

### माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कमल किशोर मिश्रा और श्री संजीव कुमार ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.02.2026 को प्रतिवादी संख्या 2- आयुक्त बस्ती क्षेत्र, बस्ती द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें अंतरिम राहत के लिए आवेदन को बिना विचार किए अस्वीकार कर दिया गया था। प्रार्थना को नीचे दोहराया गया है:-

"क) बस्ती क्षेत्र के आयुक्त द्वारा दिनांक 18.02.2026 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो मुकदमा अपराध संख्या C202617000000158, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के तहत, पुलिस स्टेशन धर्मसिंहवा, जिला संत कबीर नगर में पारित किया गया था।

ख) प्रतिवादियों को यह आदेश देते हुए परमादेश के रूप में एक रिट या निर्देश जारी करें कि वे विद्वान आयुक्त बस्ती क्षेत्र, बस्ती के समक्ष अपील संख्या C202617000000158 (जैसराम साहनी बनाम राज्य), उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4 के तहत, पुलिस स्टेशन धर्मसिंहवा, जिला संत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कबीर नगर में लंबित रहने के दौरान संत कबीर नगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 27.01.2026 को पारित आदेश को निष्पादित न करें।"

2. विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार किया जाए और गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया जाए।
3. राज्य के विद्वान एजीए ने प्रस्तुत किया कि अंतरिम राहत के लिए आवेदन का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मामले के गुण-दोष पर विचार करने के बाद किया जा चुका है।
4. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
5. दिनांक 18.02.2026 के आक्षेपित आदेश को नीचे दोहराया गया है:-

"पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गई। अपीलकर्ता एवं कैविएटकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हुए, उनके तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली का भली भाँति अवलोकन किया गया। यह अपील अपर जिला मजिस्ट्रेट जनपद संत कबीर नगर के आदेश दिनांक 27.01.2026 के विरुद्ध दिनांक 06.02.2026 को योजित की गई है। अंतर न्यायालय द्वारा प्रकरण को अन्तिम रूप से निस्तारित किया गया है। अपील पोषणीय है। अपीलकर्ता के स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2026 पर विचार करने के पश्चात स्थगन दिये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

तदनुसार अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है। अवर न्यायालय की मूल पत्रावली मंगायी जाय। प्रतिपक्षी को जरिये समन / रजिस्ट्री समन सूचित किया जाय। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 18.03.2026 को उपस्थित हों।"

6. आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपील स्वीकार कर ली गई है, लेकिन अंतरिम राहत के लिए आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि मामले की योग्यता पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर [प्रतिवादी संख्या 3] द्वारा दिनांक 27.01.2026 को पारित आदेश के संचालन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत के किसी भी आधार में कोई योग्यता नहीं दिखती है।

**अस्वीकरण:** "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. इस प्रकार, आक्षेपित आदेश को उस हद तक रद्द किया जाता है। रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 - आयुक्त बस्ती क्षेत्र, बस्ती याचिकाकर्ता के अंतरिम आवेदन पर पुनर्विचार करें और योग्यता के आधार पर आदेश पारित करें। तब तक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर - प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा मुकदमा अपराध संख्या C202617000000158 (जैसराम साहनी बनाम राज्य), उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3/4, थाना धर्मसिंहवा, जनपद सन्त कबीर नगर के तहत दिनांक 27.01.2026 को पारित आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक रहेगी।

(अवनीश सक्सैना, न्यायमूर्ति)

20 मार्च 2026

शरद/-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"